

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर 403/2023 राजस्व वाद

::आदेशः

दिनांक 03.06.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थनापत्र ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक वेमाली मे ग्राम पंचायत दहीमथा की अनुशंषा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जमाबंदी संवत 2076-2079 मे खाता सख्या 427 में वर्णित आराजी नम्बर 1100, 1109, 1118, 1122, 1147, 296, 297, 298, 299, 305, 306 किता 12 कुल रकबा 1.9980 हैक्टर भूमि मे वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	रेह	खाता सख्या 427	खाता सख्या 427 में वर्णित आराजी नम्बर 1100, 1109, 1118, 1122, 1147, 296, 297, 298, 299, 305, 306 मे प्रार्थी नाम मुन्ना पिता गोविन्दराम	खाता सख्या 427 में वर्णित आराजी नम्बर 1100, 1109, 1118, 1122, 1147, 296, 297, 298, 299, 305, 306 मे प्रार्थी नाम श्यामप्रकाश उर्फ मुन्ना पिता गोविन्दराम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा

कमाक / न्यायालय / 403 / 2023

दिनांक-03.06.2025

प्रतिलिपी -

01. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये
02. प्रार्थी श्यामप्रकाश उर्फ मुन्ना पिता गोविन्दराम निवासी रेह को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा